(स्मरण–पत्र–2)

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2019 / 206 दिनांक : 27/07/2019

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त निजी महाविद्यालय,
विक्रम विश्वद्यिालय,परिक्षेत्र।

विषय :– विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के अन्तर्गत निजी महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग तथा कर्मचारियों का बीमा एवं भविष्य निधि में शासन द्वारा अंश दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– अपर संचालक(वित्त),उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक / 2659 / 453 / आउशि / अनु.बजट / 18,भोपाल,दिनांक 02.01.2019,

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में महाविद्यालय से संबंधित चाही गई जानकारी पत्र में संलग्न प्रारूप में अविलम्ब ई–मेल academicvikramujn@gmail.com पर एवं डाक द्वारा दो प्रतियो में विश्वविद्यालय को तीन दिवस में अनिवार्यतः प्रेषित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2019 / 313,दिनांक 02.02.2019, एवं स्मरण–पत्र क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2019 / 477,दिनांक 20.02.2019 प्रेषित किया गया था। किन्तु आज दिनांक तक अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा जानकारी विश्वविद्यालय में नहीं भेजी गई है।

अतः पुनः अनुरोध है कि, जिन महाविद्यालयों ने जानकारी नहीं भेजी है वे अविलम्ब चाही गई जानकारी ई–मेल academicvikramujn@gmail.com पर शीघ्र प्रेषित की जाना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त जानकारी अपर संचालक(वित्त),उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर भेजी जा सके।

आदेशानुसार

संलग्न :– संदर्भित पत्र एवं प्रारूप

कुलसचिव

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2019 / 207 दिनांक 27/07/2019

प्रतिलिपि :–

01. अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा म.प्र.शासन,उज्जैन संभाग,शा. माधव विज्ञान महाविद्यालय,उज्जैन।
02. अपर संचालक(वित्त),उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल।
03. प्रभारी, कम्प्यूटर सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय की ओर प्रेषित कर सूचित है कि, उक्त पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
04. माननीय कुलपतिजी / कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्विद्यालय,उज्जैन

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

Dextop/ZLS-2015/02022019/986

परिशिष्ट–1

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	कार्यरत शैक्षणिक वर्ग/ अशैक्षणिक वर्ग का नाम एवं पदनाम	वेतन	भविष्य निधि कटौत्रा प्रतिशत

Scanned by CamScann

7.12 निजी सहभागिता से महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को छात्रावास तथा महाविद्यालय के समीप आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

17.13 विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के स्तर पर मैरिट में आये छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जायेगा।

17.14 उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा अध्ययन हेतु बैंकों से ऋण लेने वाले विद्यार्थियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण दिलाएँगे, आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार गारंटी देगी।।

17.15 महाविद्यालय में एन.सी.सी.,एन.एस.एस. को बढ़ावा दिया जायेगा तथा खेलकूद, शारीरिक व्यायाम आदि की व्यवस्था की जायेगी।

17.16 शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में केम्पस चयन कराया जायेगा।

17.17 कन्या महाविद्यालयों एवं छात्रावासों में कन्याओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी तथा पुलिस चौकी भी स्थापित करेंगे।

17.18 सभी छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण नि:शुल्क कराया जायेगा एवं बीमा भी कराया जायेगा।

17.19 सभी जिलों में उत्कृष्ट महाविद्यालय में विशेष कोचिंग एवं नेतृत्व विकास की व्यवस्था करेंगे।

17.20 निजी महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक संवर्ग तथा कर्मचारियों का बीमा एवं भविष्य निधि में शासन द्वारा अंश दिया जायेगा।

17.21 निजी महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक संवर्ग तथा कर्मचारियों को अशासकीय संस्थाओं की अनुदान योजना के अंतर्गत उनके वेतनमान में सुधार करेंगे, उनको वेतन में 2 हजार से 10 हजार रूपये तक की वृद्धि का प्रयास करेंगे।

17.22 अतिथि विद्वानों को रोस्टर के अनुसार नियमित करने की नीति बनाएंगे। पीएससी में चयन न होने की स्थिति में उनको निकाला नहीं जायेगा। भविष्य के लिए अतिथि शिक्षकों का पैनल महाविद्यालय में अध्ययन किये विद्यार्थियों में से बनाया जायेगा।

17.23 आदिवासी अंचलों में स्थापित सभी महाविद्यालयों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कला के साथ-साथ वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय भी प्रारंभ की जाय।

17.24 सभी वर्गों की महाविद्यालयीन कन्याओं के लिए नये छात्रावास खोलेंगे और उनको शासकीय महाविद्यालयों से जोड़ेंगे।

17.25 विज्ञान महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करेंगे।